आदेश दिनांक 31-10-19 को पेश हो

31.10.19 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप. व बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के आवेदन में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं होने के कारण आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 389 रकबा 2.25 है. वाके ग्राम माजीपुरा तहसील धोद जिला सीकर का खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैफियत शुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद म. सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/1209/2015

1. मुस्ताक खां उम्र 75 वर्ष पुत्र असरफ खां
2. मुमताज खां उम्र 72 वर्ष पुत्र असरफ खां
3. इकबाल खां उम्र 67 वर्ष पुत्र असरफ खां

समस्त जाति मुसलमान कायमखानी निवासीगण ग्राम कासली तहसील धोद जिला सीकर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. छीतर खां उम्र 50 वर्ष पुत्र हैदर खां
2. इमरान खां उम्र 30 वर्ष पुत्र छीतर खां

समस्त जाति मुसलमान कायमखानी निवासीगण खाचरियावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज0

3. तहसीलदार धोद, तहसील कार्यालय धोद जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

(आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2) हजफ
आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

श्री महेश शर्मा, वकील प्रार्थीगण की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 31-10-19

वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के कब्जे, काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 389 रकबा 2.2500 हैक्टर ग्राम माजीपुरा पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है। यह भूमि प्रार्थीगण के पैतृक कब्जे, अधिकार एवं खातेदारी की कृषि भूमि है, जिससे अप्रार्थीगण का कभी भी कोई संबंध और सरोकार नही रहा है और न ही वर्तमान में है। यह भूमि प्रार्थीगण को अपने पिता असरफ खां की विरासत में प्राप्त हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रार्थीगण की आवेदन पत्र की धारा 2 में वर्णित काश्त भूमि के दक्षिण दिशा में सिवा जोड़ काश्त भूमि को उसके खातेदारान से क्रय करने की जानकारी प्राप्त हुई। अप्रार्थी गण संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रार्थीगण पर भी अपनी काश्त भूमि को विक्रय करने का अनुचित और अवैध दबाव डाला जा रहा है। साथ ही साथ प्रार्थीगण को अपनी काश्त भूमि को नही बेचने पर गंभीर शारीरिक और सांपतिक क्षति पहुंचाकर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। अप्रार्थीगण 1 व 2 के द्वारा विगत एक सप्ताह से प्रार्थीगण की काश्त भूमि पर भी बलात अतिक्रमण करने एवं कब्जे व काश्त से महरूम करने की धमकियां दी जा रही है। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की धमकी के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Scanned by CamScanner

कारण प्रार्थीगण एवं उनका संपूर्ण परिवार दहशत में है एवं प्रार्थीगण की कब्जे, अधिकार एवं खातेदारी की भूमि पर अप्रार्थीगण के द्वारा जबरन और ताकत के बल पर अतिक्रमण करने एवं क्षति कारित करने की तत्काल प्रबल संभावना बनी हुई है। इसलिए प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आवेदन पत्र की धारा 2 में वर्णित विवादित भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे व काश्त तथा उपयोग–उपभोग मे किसी भी रूप में हस्तक्षेप करने, बलात अतिक्रमण करने एवं विवादित भूमियों में लगे हुए हरे पेड़ों को क्षतिग्रस्त करने से वाद के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित कराने के अधिकारी है। आवेदन माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र में है अतः उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को आवेदन पत्र की में वर्णित विवादित भूमि खसरा नम्बर 389 वाके ग्राम माजीपुरा तहसील धोद जिला सीकर पर अतिक्रमण करने, वादीगण के कब्जे व काश्त भूमि में खड़ हरे पेड़ो के क्षतिग्रस्त करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाये।

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री राजेश माथुर ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिसमें उल्लेखित किया कि प्रार्थी की सफलता दुरासा मात्र है उसका कोई भी प्रथम दृष्टया मामला सबल एवम् सुदृढ नहीं है। वादग्रस्त भूमि से उत्तरदाता का कोई सम्बंध सरोकार नहीं है। उत्तरदातागण ने वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 389 के दक्षिणी ओर खसरा नं0 390 व 417 उसके खातेदारों से जरिये रजिस्टर्ड सैल डीड क्रय की है। कृषि भूमि को यदि कोई खरीदता है तो वह भू–माफिया नहीं जो जाता है। वादी के द्वारा जो भूमाफिया शब्द अपने आवेदन–पत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस्तेमाल किया गया है वह अपराध की श्रेणी में आता है उक्त शब्द ना तो किसी हिन्दी शब्दकोष में शामिल है, एवं ना ही उर्दू या अंग्रेजी शब्दकोष में शामिल है। किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि किसी को "भू–माफिया" शब्द से सम्बोधित किया जाता हैं तो यह एक गाली के समान है और इसके लिए उत्तरदातागण को वादीगण के विरूद्व आपराधिक न्यायालय में इस्तगासा पेश कर दण्डित करवाये जाने का अधिकार है एवं उत्तरदातागण के विरूद्व मानहानि कारक शब्द इस्तेमाल करने लिए मानहानि का मुकदमा किये जाने का अधिकार है, जो वह सुरक्षित रखता है। जहां तक वादी का यह आरोप है कि उत्तरदातागण जमीने खरीद कर अवैध कॉलोनियॉ बनाने का काम करते है, उक्त आरोप सर्वथा निराधार है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं0 390 व 417 वादी ने क्रय की है उसके आस–पड़ोस में स्वंय वादी की कृषि भूमियां है। उक्त कृषि भूमिया आबादी से काफी दूर है। इसलिए इस बात की कोई सम्भावना नही है कि वहां पर कोई आवासीय कॉलोनी विकसित हो सकती है। ना तो उत्तरदातागण ने वादी पर कभी भी अपनी कृषि भूमि विक्रीत किये जाने का दबाव बनाय एव ना ही उसके कब्जे व काश्त में कोई दखल अन्दाजी की। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला सबल नही है, सुविधा का सन्तुलन भी उसके पक्ष में नहीं है एवम् ना ही अपूर्णीय क्षति उसको होने की सम्भावना है। वादी द्वारा उक्त दावे में जो अनुतोष चाहा गया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत प्रदान नही किया जा सकता। किसी भी कृषि भूमि के सम्बंध में उसके अन्य खातेदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Scanned by CamScanner

काश्तकारों को भूमि विक्रय किये जाने से पाबंद किया जा सकता है स्थानान्तकरण किये जाने से पाबंद किया जा सकता है, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जा सकता है। उत्तरदातागण वादग्रस्त भूमि के ना तो खातेदार है ना काश्तकार है जिनके द्वारा ना तो भूमि विक्रीत, सथानान्तरित किये जाने की सम्भावना है, ना ही राजस्व रिकार्ड परिवर्तित किये जाने की सम्भावना है इसलिए उत्तरदाता जो कि उक्त भूमि के लिए एक अजनबी है को किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का कोई औचित्य नहीं है एव ना ही कानूनन आवश्यक है। वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन केवल मात्र उत्तरदाता को हैरान व परेशान के उद्देश्य से पेश किया गया होने से खारिज किया जावे।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौराने वकील प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवेदन में टंकित आदेश 39 नियम 1 व 2 की जगह आवेदन बाबत अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पढा जावें। जिस पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया। अतः उक्त आवेदन को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत आवेदन टंकित आवेदन अं. आदेश 39 नियम 1 व 2 को हजफ किया जाकर उक्त के स्थान पर आवेदन बाबत अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लाल स्याही से अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को ही बहस में दोहराया।

हमने बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थीगणों ने अपने आवेदन में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण अपराधिक किस्म में व्यक्ति है, भूमियों की अवैध तरीके से खरीद करके खुर्द– बुर्द करते हैं, इन पर कई मुकदमें पुलिस थानों में दर्ज है, प्रार्थीगणों को जबरन अपनी भूमि इनको बेचान करने का दवाब डाला जा रहा है , बन्दूक दिखाकर गोली से उड़ाने की प्रार्थीगणों को धमकी दी जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा अंकित उक्त सभी अपराध आईपीसी की धाराओं के तहत दण्डनीय है। जिन पर सुनवाई करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीगणों ने पत्रावली पर इस प्रकार का कोई सबूत/साक्ष्य लिखित/दस्तावेजी/ मौखिक प्रस्तुत नही किया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण बलात् कब्जा करना चाहते है या उन्होने बलात् कब्जा कर रखा है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के आवेदन में पृथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं होने के कारण आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 389 रकबा 2.2500 है0 वाके ग्राम माजीपुरा तहसील धोद जिला सीकर का खारिज खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 31-10-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद म. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुख्यालय सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2019.11.11 12:03:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: